–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या 1** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा झुझण्डा पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में सायल की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 1.3112 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 86 रकबा 1.8696 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)